राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर–303001 दूरभाष 0141–2374644

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा/09/2026/480 दिनांकः– 20-5-2026

कार्यालय आदेश

निगम वाहनों को आकस्मिक अनुबंध/ संविदा पर उपलब्ध कराये जाने हेतु दरों के निर्धारण संबंधित इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों को अधिलघित करते हुये, यात्री किराया दरों में वृद्वि एवं वाहन उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये एतद् द्वारा निम्नानुसार वृद्विकृत/ संशोधित किया जाता है:–

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित अधिकतम कि0मी0	वाहन श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वसूली योग्य राशि (रूपये)			
			साधारण/ द्रुतगामी	सेमी डीलक्स	डीलक्स (नान ए. सी.)	वातानुकुलित
1	12 घण्टे तक	200	10,200	10600	12600	18000
2.	12 घण्टे से अधिक किन्तु 24 घण्टे तक	400	20400	21200	25200	36000
3.	24 घण्टे के पश्चात प्रत्येक 3 घण्टे के लिये	50	2550	2650	3150	4500
4.	निर्धारित कि0मी0 से अधिक संचालन पर दर प्रति कि0मी0		51	53	63	90

वातानुकूलित सुपर लग्जरी वाहनों के लिये दरें :–

क.स.	विवरण	निर्धारित अधिकतम कि0मी0	वाहन श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वसूली योग्य राशि (रूपये)
1.	12 घण्टे तक	400	54000
2.	12 घण्टे से अधिक किन्तु 24 घण्टे तक	800	108000
4	24 घण्टे के पश्चात प्रत्येक 3 घण्टे के लिये	100	13500
5	निर्धारित कि0मी0 से अधिक संचालन पर दर प्रति कि0मी0		135

अनुबंध की अन्य शर्ते एवं दिशानिर्देशः–

1. उक्तानुसार निर्धारित दरों के अतिरिक्त दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार (ACS), मानव संसाधन अधिभार (HRS), टोल टैक्स, चूंगी एवं अन्य समस्त प्रकार के यात्री कर तथा अन्य राज्य एवं पंचम अध्याय मार्ग पर अनुबन्ध हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये व्यय होने वाली राशि (यथा मार्ग कर, विशेष पथकर, यात्री कर परमिट फीस), आदि पृथक से वसूली योग्य होगी।
2. जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से वसूली योग्य होगी।
3. पहाड़ी मार्गों एवं पर्वत्तीय क्षेत्रों में उपरोक्त दरों की डेढ गुणां राशि वसूली योग्य होगी।
4. समय सीमा एवं संचालित कि.मी. की गणना वाहन के कार्यशाला से प्रस्थान कर वापस कार्यशाला पहुँचने तक के समय व कि.मी. को आधार मानकर की जावेगी।
5. वाहन की निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक यात्री होने पर निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक के यात्रियों हेतु संचालित कि.मी. के अनुसार संबंधित श्रेणी के लिये निर्धारित किराया दर से यात्री किराया तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ती अधिभार(ACS), एवं मानव संसाधन अधिभार(HRS), पृथक से वसूली योग्य होगा।
6. छात्रों के लिये वाहन अनुबन्ध पर चाहने एवं निगम कर्मियों की स्वंय/पुत्री/पुत्र के विवाह तथा कर्मचारी पर आश्रित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके मृत शरीर को उसके मूल निवास स्थान तक ले जाने हेतु वाहन अनुबन्ध पर उल्लेखित दरों में 20 प्रतिशत रियायत देय होगी। इसके लिये आगार प्रभारी सक्षम होंगे।
7. न्यूनतम वसूली योग्य राशि में कोई रियायत/छूट देय नहीं होगी।

8. 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रीय पर्वो पर शिक्षण संस्थाओं के छात्र–छात्राओं एवं कानून व्यवस्था हेतु राज्य सरकार/प्रशासन की मांग पर अधिकतम 12 घण्टे तक की अवधि हेतु उपलब्ध करवाई जाने वाली बसों की दर न्यूनतम 24 घण्टे के लिये निर्धारित दर की आधी दर से वसूली होगी।

9. अनुबंध/संविदा हित जमा करने योग्य अग्रिम राशि का निर्धारण

अ. अनुबंध अवधि के लिए न्यूनतम राशि।

ब. अनुबंध अवधि के लिए संचालन योग्य किमी X दर प्रति किमी के अनुसार राशि।

स. उक्त दोनों में से जो भी अधिक हो उसमें 24 घण्टे के अनुबन्ध की स्थिति में 18 घण्टे की न्यूनतम राशि जोडी जावेगी।

द. बिन्दु संख्या (स) से प्राप्त राशि में सभी अधिभार, टोल, परमिट फीस, अन्तरराज्यीय कर आदि की राशि पृथक से जोडी जावेगी।

10. . अनुंबंध /संविदा रद्द करने के लिये कटौती योग्य विभागीय प्रभार :–

संविदा के लिये निर्धारित समय से पूर्व संविदा रद्द हेतु आवेदन की स्थिति	विभागीय प्रभार
48 घण्टे पूर्व तक	10 प्रतिशत
24 घण्टे पूर्व तक	20 प्रतिशत
24 घण्टे से कम समय	50 प्रतिशत

नोटः– 10, 20 व 50 प्रतिशत विभागीय प्रभार की गणना बिन्दु संख्या 9 के अनुसार निर्धारित राशि में से की जावेगी तथा संविदा निष्पादन के प्रयोजनार्थ निगम द्वारा अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु व्यय की गई राशि भी पृथक से वसूली योग्य होगी।

11. संविदा निष्पादन के लिये आवेदन पत्र/संविदा प्रारूप आदेश संख्या 823 दिनाक 15.11..2002 के अनुरूप प्राप्त किया जाये।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विनोद पुरोहित)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा/09/2026/480 दिनांकः– 20.5.2026

प्रतिलिपिः – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
3. शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान
4. शासन उप सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान
5. कार्यकारी निदेशक( )/वित्तीय सलाहकार रा.रा.प.प. निगम
6. महा प्रबन्धक.(वित्त)/(याता.) /संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त) रा.रा.प.प. निगम
7. निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम
8. उप महा प्रबन्धक ( )/कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प. निगम
9. उप महा प्रबन्धक (आई.टी.) रा.रा.प.प. निगम, को उक्त दरों को निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु
10. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) रा.रा.प.प. निगम
11. लेखाधिकारी (बजट) रा.रा.प.प. निगम
12. जोनल मेनेजर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम..जोन।
13. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त/यातायात/संचालन) रा.रा.प.प. निगम, ...आगार।
14. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(मनोज कुमार बंसल)
महाप्रबंधक (यातायात)